

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर
पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री भेरा पिता टोडा डांगी निवासी सालेराकलां तहसील मावली जिला उदयपुर।
.....वादी

बनाम

2. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 275/25 (वाद) GCMS No. – 2025/655

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता तथा डिक्री किया जाता है कि मौजा सालेराकला पटवार हल्का सालेराकला तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077-80 की खाता संख्या 399 पर दर्ज आराजी नम्बर 1837, 1838, 1839, 1841, 1842, 1843, 1844, 1846, 1847, 1891, 819, 820 रकबा 4.5244 हेक्टेयर भूमि में वादी का नाम भेरा पिता गांगा डांगी के बजाय भेरा पिता गांगा उर्फ टोडा डांगी संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता है। शेष खाता बदस्तूर रहेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 31.10.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

